न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2023 (राजसमन्द डिकी)

मोती पिता उदा जी कुमावत, निवासी ग्राम एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कालू पिता उदा जी कुमावत, निवासी ग्राम एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. बालू पिता उदा जी कुमावत, निवासी ग्राम एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दि. 18–09–2023 प्रकरण संख्या 203/2017

––––/––––

उपस्थित :– 1– श्री कुलदीप माली अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री एस.एल. लड्ढा अभिभाषक रे.सं. 1, 2

––––::––––

निर्णय **दिनांक 25–04–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम एमडी में आराजी नंबर 403, 418, 604, 610, 635/1, 660, 786/2, 799, 1171, 1678/295 कुल किता 10 रकबा 9 बीघा 12 बि[illegible] भू[illegible] स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में वादी, प्र[illegible] संख्या 1, 2 [illegible]जी, मोहनी पिता उदा कुमावत के नाम दर्ज है, [illegible] मोहनी ने अपना हि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

तीनों भाईयों वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में हक त्याग कर देने से तीनों का 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात का तीनों भाईयों के मध्य दिनांक 13–10–2005 को आपसी विभाजन कर लिया गया है, जिससे वादी के हिस्से में आराजी नंबर 604, 635, 660, 1/71 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में वाद पत्र की कलम संख्या 2 (ख) व (ग) वर्णित आराजियात आयी है, किन्तु प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–08–2023 को पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18–09–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–11–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. लड्ढा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक [illegible]–11–2023 को प्राप्त हुई है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

भू.अ.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मात्र 4 दिवस का विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निर्धारित करना आवश्यक था कि तथाकथित समझौता दिनांक 13–10–2005 एक विधि सम्मत दस्तावेज है अथवा नहीं। इस बिन्दु पर तनकियात कायम कर एवं पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसका कोई विनिश्चयन नहीं किया है। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर 50/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 13–10–2005 का आपसी समझौता संलग्न है। हांलाकि उक्त आपसी समझौता रजिस्टर्ड नहीं है, किन्तु पारिवारिक समझौता होने से एक मान्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आपसी समझौते के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री [illegible] 2023 को जारी की, जिस पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

मु.अ.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

नहीं की गयी है, न ही उनके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी है। इसलिए प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तैयार किये गये फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 18–09–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

मोती पिता उदा जी कुमावत, निवासी ग्राम एमडी, तह0 व जिला राजसमन्द	बनाम	कालू पिता उदा जी कुमावत, निवासी ग्राम एमडी, तह0 राजसमन्द व अन्य

अपील नं.......31 / 2023...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी......
.....राजसमन्द........... मुकाम...............मुवर्खे............18.............माह.............09............2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........25....माह........04....सन् 2024 रुबरु.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री कुलदीप माली.....मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री एस.एल. लड्ढा

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 18–09–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................ X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......25.......माह.......04..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल [illegible] का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested